# 'ई-मेगा लीगल सर्विस कैंप'

## चर्चा में क्यों?

24 अक्तूबर, 2021 को **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा),** नई दिल्ली के तत्वावधान एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक प्राधिकरण के मार्गदर्शन में राज्य के सभी सिविल ज़िलों में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं ज़िला प्रशासन के समन्वय से ई-मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया गया।

## प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख संरक्षक न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने राज्य के सभी 23 सिविल ज़िलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से '**ई-मेगा लीगल सर्विस कैंप**' का शुभारंभ किया।
- इस मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन **आज़ादी के अमृत महोत्सव** के अंतर्गत अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के तहत किया जा रहा है।
- शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक कर सभी वर्ग के लोगों तक न्याय पहुँचाने के साथ ही कानूनी सेवा प्रदान किया जाना सुनिश्चित करना है।
- इस आयोजन में शामिल लोगों को विधिक सेवा की जानकारी एवं शासकीय योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहीमूलक सामग्री तथा आर्थिक सहायता राशि का वितरण किया गया।
- उल्लेखनीय है कि **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा)** के निर्देशानुसार आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान 2 अक्तूबर, 2021 से मनाया जा रहा है, जो 14 नवंबर, 2021 तक चलेगा। इसमें आमजन को विधिक सेवा की जानकारी देने के प्रयोजन से प्रत्येक दिन ज़िला एवं तालुका स्तर पर विभिन्न विधिक जागरूकता कार्यक्रम, शिविर आदि आयोजित किये जा रहे हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/e-mega-legal-service-camp